वर्ष 2, अंक 8, अक्टूबर–दिसंबर 2013

गुब्बारा

बच्चों का अपना अखबार

चुप न रहेंगे अब हम

अपने गांव, घर–परिवार में, हम एकजुट हो जाएंगे
अपने मित्रों पर आई, परेशानियों को भगाएंगे
खूब पढ़ेंगे शाला में, खेल में भी अव्वल आएंगे
जब–जब होगी प्रतियोगिता, शोर खूब मचाएंगे

हम बच्चों की टोली होगी, मीठी अपनी बोली होगी
जो बोलेगा हम से गलत, उसको हम समझाएंगे
नहीं मानने पर बात, शिकायत करने जाएंगे
सरपंच जी को बोलेंगे, पोल सबकी खोलेंगे

मजदूरी पर जाता अगर कोई दोस्त हमें दिख जाएगा
शाला की पढाई का आनन्द उसको हम बताएंगे
कर देंगे चाइल्डलाइन को फोन, दाखिला उसका कराएंगे
खेलेंगे फिर उसके संग, फट से घुल–मिल जाएंगे

बाल विवाह तो बुरी बात है, यह सबने जाना है
पता लगते ही इसका, पुलिस को बुलाना है
हम पर होने वाली हिंसा को बताएंगे
चुप न रहेंगे हम अब, सब मिलकर कदम बढाएंगे

बाल अधिकारों पर बज्जू में हुई कार्यशाला में
महेन्द्र–दियातरा, सनोज–खारिया पतावतान, मघसिंह–चिमाणा,
झुंझाराम–दण्डकलां, श्याम सुंदर–गड़ियाला के समूह ने रची यह कविता

अपने अधिकारों से वंचित सबसे ज्यादा हम

बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आज हर स्तर पर जागरूकता अभियान की जरूरत महसूस की जा रही है। अपने अधिकारों से सबसे ज्यादा वंचित हमारे देश के बच्चे ही हैं। अब समय आ गया है कि हमें अपने पर होने वाली हिंसा के खिलाफ बोलना होगा। इस रिपोर्ट में मौजूद आंकड़ों को जानकर हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे बाल मंच, किशोरी मंच, किशोरी प्रेरणा मंच में हम इन बातों पर चर्चा कर सकते हैं और अपने आसपास बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रयास कर सकते हैं।

भारत में हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। आपको याद होगा आखिरी जनगणना 2011 में हुई है। जनगणना रजिस्टर में कई कॉलम होते हैं। इनमें से एक कॉलम होता है साक्षरता का। जिस व्यक्ति के बारे में रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है वह पढ़ा-लिखा है या नहीं। 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर 74 प्रतिशत आई है। जिसका मतलब है 100 में से 74 आदमी पढ़ना व लिखना जानते हैं। देश की 74 प्रतिशत आबादी पढ़ी लिखी होने के बावजूद हमारे देश में कई बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं में सबसे बड़ी और सबसे चिंताजनक है बच्चों को उनके अधिकारों की पूर्ति कराते हुए उनकी सुरक्षा। भारत में 42 प्रतिशत जनसंख्या बच्चों (0 से 18 वर्ष) की है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 19 प्रतिशत बच्चे भारत के हैं।

शिक्षा से वंचित

हालांकि 2001 की साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत की तुलना में 2011 में साक्षरता दर 9.2 प्रतिशत बढ़कर 74.04 प्रतिशत पहुंच गई है। दुनिया में समेकित विकास के लिए कार्य करने वाली संस्था यू.एन.डी.पी. के मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग हैं। शिक्षा के अधिकार के बाद शिक्षा में एक नई क्रांति आई है लेकिन आज भी कई बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती हैं। जहां पुरूष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है वहीं महिला साक्षरता दर अभी भी 65.64 प्रतिशत ही है। शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में यह समस्या और भी गंभीर है। बालिकाओं के साथ भेदभाव करना, गाँव के नजदीक विद्यालय न होना, विद्यालय में टॉयलेट न होना और अगर होना तो उनका गंदा ही पड़े रहना बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखने के तीन सबसे बड़े कारण निकलकर आए हैं।

बाल विवाह– हमारे अधिकारों का सबसे बड़ा हनन

दुनिया में सबसे ज्यादा बाल वधु हमारे देश में हैं। बच्चों के विकास के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ के अनुसार देश की 40 प्रतिशत से भी ज्यादा बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले ही करा दिया जाता है। बाल विवाह, बालिका से उसकी पढ़ने और आगे बढ़ने का आशा छीन लेता है। बाल विवाह के कारण वह कम उम्र में ही माँ बन जाती है। कम उम्र में प्रसव से कई बालिकाओं की मौत हो जाती है।

बाल मजदूरी– भारत में सबसे ज्यादा बाल मजदूर

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर हमारे देश में हैं। भारत में बाल मजदूरों की संख्या 6 करोड़ से भी ज्यादा है। बच्चों से घर के काम में, खेतं में, चाय, ढ़ाबा, होटल और अन्य दुकानों में, ईट भट्टों पर और कई जगह बड़े कारखानों में भी मजदूरी कराई जाती है। काम के बदले उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं और जोखिम भरे कार्य का विरोध करने पर उनकी पिटाई की जाती है।

बाल यौन शोषण

मौजूदा हालात ने भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा यौन शोषित बच्चों का देश बना दिया है। बाल यौन शोषण के आंकड़ों चौका देने वाले हैं। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 में बाल यौन उत्पीड़न पर 13 राज्यो में 12,500 बच्चों पर कराए गए एक सर्वेक्षण में यह सामने आया कि, 53.22 प्रतिशत बच्चों को अपने वयस्क होने तक बाल यौन शोषण के हालातों का सामना करना पड़ता है। यौन उत्पीड़न में खतरा बालक और बालिका दोनों को ही बराबर है। यौन उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटना फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों, बाल मजदूर और संस्थागत देखरेख में रह रहे बच्चों के साथ हुई हैं। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि बहुत सारी घटनाओं में बच्चों के साथ उनके रिश्तेदार, पड़ोसी और जानकार लोगों ने ही उत्पीड़न किया। बच्चों ने भय के कारण इसकी शिकायत माता-पिता से नहीं की, और जिनके माता-पिता को इसका पता भी चला, उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में नहीं की।

बढ़ता लिंगानुपात और शिशु मृत्यु दर

वर्ष 2011 की जनगणना ने पूरे देश के सामने हमारे समाज की एक बड़े गंभीर सच को रखा। हमारे यहाँ 0-6 वर्ष आयुवर्ग का लिंगानुपात 914 है। इसका मतलब देश में 1000 लड़के पैदा होने पर 914 लड़कियां पैदा होती हैं। आजादी के बाद यह सबसे कम लिंगानुपात है। इसका कारण कन्या भ्रूण हत्या माना जा रहा है। दूसरी तरफ आज भी भारत में हर साल 17 लाख से ज्यादा बच्चों की पांच वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है। इसका मुख्य कारण कुपोषण माना जाता है। जबकि बच्चों के समेकित विकास के लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ी परियोजना हमारे देश में चलाई जाती है।

दिल्ली और दण्डकलां के बच्चे मिलकर रहे साथ और बन गए दोस्त

मेरा नाम बाबूदान है। मैं कक्षा आठवीं में पढ़ता हूँ और दण्डकलां गाँव में रहता हूँ। हमारे गाँव में दिल्ली से कुछ बच्चे आए। उनके साथ मिलकर हमने हमारे अधिकारों पर बात की। हमने जाना कि दिल्ली और हमारे गाँव में बच्चों के अधिकार उन्हें किसी तरह से मिलते हैं। हमने मिलकर एक प्रश्न पत्र तैयार किया। इसमें हमने अपने अधिकारों के प्रश्न लिखे, फिर हमने गाँव में अपने साथियों से इन प्रश्नों के उत्तर जाने। इसमें पता लगाया कि घर, आस-पड़ोस, स्कूल व गाँव में बाल अधिकार कितने और कैसे मिल रहे हैं। दिल्ली से आए बच्चों के साथ मैंने और मेरे साथियों ने दोस्ती की और गांव में उनको घुमाया। उनको हमारे गाँव की आंगनबाड़ी बहुत अच्छी लगी।

आंगनबाड़ी को देखकर दिल्ली से आए मेरे एक दोस्त ने पूछा कि आपके गाँव में और कितनी आंगनबाड़ी हैं ? क्या यह रोज खुलती हैं। तब मैंने बताया कि हमारे गाँव में 1 आंगनबाड़ी है और यह रोज खुलती हैं, यहां छोटे बच्चों को पोषाहार भी मिलता है। बस रविवार को छुट्टी रहती है, फिर हमने उन्हें हमारे गाँव में उन्हें वाली कशीदाकारी दिखाई। सारे बच्चों का कशीदाकारी जानने का मन हुआ। मैंने मेरे दोस्त को फ्रेंडशिप बैंड बनाना सिखाया। उसने बैंड बना कर मुझे तोहफे में दिया मैं हमेशा उसे पहनता हूँ। फिर हम स्कूल की तरफ चलने लगे। मैंने पूछा क्या तुम्हारे यहां भी आंगनबाड़ी हैं ? तुम्हारा स्कूल कैसा है, कितने कमरे हैं ? अध्यापक कितने हैं ? इस पर उसने बताया कि हमारा स्कूल तुम्हारे स्कूल काफी बड़ा है, उसमें कई सारे कमरे हैं। हमें स्कूल में तो खेलने के लिए मैदान मिल जाता है पर हमारे घर के आस-पास कोई मैदान नहीं है, तो जितना भी खेलना होता है वह स्कूल में ही होता है घर पर नहीं।

दूसरे दिन हमने बाल अधिकारों पर नाटक करने की तैयारी शुरू कर

दी। इसके लिए दो टीम बनाई गई। दोनों टीमों में गाँव के और दिल्ली के बच्चों को मिला दिया गया। हमने मिलकर नाटक तैयार किया। गाँव में चुनाव होने थे। दिल्ली वाले बच्चे हमारे गाँव नहीं आ सकते थे इसलिए हमने तय किया कि दूसरे दिन बज्जू में जाकर नाटक की तैयारी करेंगे। हम बज्जू गए और नाटक तैयार किया। इसके बाद अगले दिन हमने हमारे स्कूल में नाटक का प्रदर्शन किया। दोनों टीमों ने अपने-अपने नाटक बच्चों व गाँव के लोगों के सामने दिखाए। बाल अधिकार पर बने दोनों नाटक हमारे गाँव के लोगों, गुरूजी को बहुत अच्छे लगे। सभी बच्चों ने खूब तालियां बजाईं।

इसके बाद हमने उन्हें अपने गाँव के आसपास के धोरे दिखाए। हम सभी ऊट गाड़े पर बैठ गए। ऊट गाड़े की सवारी करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। हमने बताया कि ऊट गाड़ा ही हमारा साधन है। शहर में तो गाड़ियां होती हैं, परन्तु यहां गाँव में ऊट गाड़ा परिवहन का प्रमुख साधन हैं। इसकी मदद से हम दूर नहर से पानी लेकर आते हैं। मोठ, ग्वार, मूंगफली खेत से लेकर बाजार ले जाते हैं। हम इसे बहुत से कामों में प्रयोग में लाते हैं। उन्होंने ऊट गाड़े वाले से इसकी बनावट के बारे में जाना और ऊट के जीवन के बारे में भी समझा। कुछ दोस्तों ने तो ऊट गाड़े

इसके बाद हमने उन्हें धोरे दिखाए। हम सबने मिलकर कई खेल खेले। खो-खो में सबको बहुत आनन्द आया। इसके बाद उनके जानेका चित्र भी बनाया। इसके बाद का समय हो गया। हम सब एक-दूसरे से गले मिले। मेरे दोस्त देवेन्द्र ने कहा, " तुम, तुम्हारे दोस्त, स्कूल और तुम्हारा गाँव बहुत अच्छा है। उसने मुझसे दोबारा आने का वादा किया। अब वह जब भी आएगा तो हम फिर से खूब आनन्द करेंगे।

2013 अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बीकानेर बोला जाबोक.. जानो, बोलो, करो

बच्चों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में चलाया गया अभियान "जानो बोलो करो" जयपुर से चलकर बीकानेर पहुंच गया है। बीकानेर में इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर की गई।

इस मौके पर बीकानेर में स्थित टाउन हॉल में एक बडे समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें हमारे किशोरी प्रेरणा मंच, मीना मंच, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहीं कई बालिकाओं ने भाग लिया। बच्चों से संबंधित मुद्दों पर काम करने वाले विभाग जैसे शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सदस्य भी इस समारोह में शामिल हुए।

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से गोविंद बेनीवाल, प्लान इंडिया से राजीव नागपाल, यूनिसेफ से प्रियंका भी हमारी समस्याओं, चुनौतियों को जानने आईं।

इस मौके पर गीत, नुक्कड नाटक, फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इन सबके माध्यम से बाल अधिकारों की बात विस्तार से की गई।

शेष पृष्ठ 6 पर

पोस्टर, खूबसूरत रिबन और कानून की जानकारी

समारोह में भाग लेने आई बालिकाओं को खूबसूरत रिबन, पोस्टर, बच्चों की पत्रिका गुब्बारा और बातचीत, के साथ ही कानून की जानकारी के पर्चे और किताबें मिलीं। बच्चों को लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम-2012 जिसे हम पोक्सो के नाम से जानते हैं, पर आधारित सामग्री, बाल विवाह के दुष्प्रभावों को बताते हुए कानून की जानकारी देते पोस्टर और चाइल्डलाइन के स्टीकर मिले।

नाटक 'तू बोल' ने किया बाल यौन शोषण के प्रति सर्तक

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, झझू की छात्राओं ने बाल यौन शोषण पर आधारित नाटक "तू बोल" का मंचन किया। जिसमें शिक्षा से वंचित बालिका का गांव के पड़ोसी द्वारा यौन शोषण का प्रयास किया जाता है। बालिका इसकी शिकायत अपनी मां से करती है। जिसके बाद सरपंच की सहायता से उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है।

निर्भय मन

बाल गृह से आए रूबी
बाल आयोग सदस्य ग
सहायक निदेशक विक्र

कठपुतली नाटक होने व

लिक्षमा के पिता ने उस
कम उम्र में ही गर्भवती
उसकी जान चली गई।
लूणकरणसर की बालिक
नाटक ने बाल विवाह के
रखा।

पोस्टरों का विमोचन

न – सर ऊंचा कोई नहीं रहेगा अब चुप

ी और मनोज, के.जी.बी.वी. कक्कू की छात्रा अनुराधा, नोखा से आई बालिका सुमन ने
ोविंद बेनीवाल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष प्रभा भार्गव, जिला बाल संरक्षण ईकाई के
म सिंह, प्लान इंडिया के राजीव और यूनीसेफ की प्रियंका के साथ पोस्टर विमोचन किया।

कानून को जानें

यूनिसेफ से आई प्रियंका ने बालक-बालिकाओं से अनुरोध किया कि वह कानून के बारे में जानें। पढ़ें, उसको समझें और अपने आस पास के लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि बच्चों को सुरक्षित करने के लिए माताओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। उन्हें समाज की रुढ़ीवादिता से दूर करना होगा।

से जाने बाल विवाह से ाले नुकसान

की शादी बचपन में ही कर दी। ी हो जाने से प्रसव के कारण उरमूल की गावणियार टीम और कओं द्वारा तैयार किए गए इस दुष्प्रभावों को लोगों के सामने

बाल सुरक्षा समिति रोकती है बाल विवाह

लूणकरणसर के गांव खारबारा से आई बाल सुरक्षा समिति की सदस्य सीता ने बताया कि उनके गांव में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल सुरक्षा समिति बनी हुई है। गांव में बाल विवाह रुकवाने के लिए किशोरी प्रेरणा मंच की सदस्य बाल सुरक्षा समिति के साथ मिलकर प्रयास कर रही है। इसके लिए वह चाइल्डलाइन की मदद भी लेते हैं।

बाल हिंसा को जानें

प्लान इंडिया से आए राजीव नागपाल ने बाल हिंसा के बारे में कार्यक्रम में आए बच्चों व बड़ों के साथ फिल्म के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने बाल हिंसा के बारे में बताते हुए कहा कि बाल हिंसा शारीरिक, भावनात्मक और यौन संबंधी हो सकती है। इसमें कई बातें शामिल हो जाती हैं जैसे- शारीरिक दंड, थप्पड़ मारना, बाल मजदूरी, मारपीट, बड़ों द्वारा बच्चों को अपने गुप्त अंग दिखाना, बाल विवाह, सशस्त्र हिंसा, यौन हिंसा, बच्चों के साथ अश्लीलता करना, भयभीत करना, उपेक्षा करना और बाल तस्करी।

जाबोक...जानो बोलो करो

बीकानेर के गडियाला गांव से आई ममता ने बताया कि ‘‘ मेरी शादी 15 वर्ष की उम्र में करने के लिए घर वालों ने लड़का देखना शुरू कर दिया, मैंने कड़ा विरोध किया और शादी को रुकवा दिया, आज में एम.ए कर रही हूँ और बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। मेरे गांव की कई लड़कियों में मुझे देखकर हिम्मत आई और उन्होंने भी अपनी बात घर में रखनी शुरू की। मेरा सभी से कहना है कि जब तक आप अपने मन की बात को अपने परिवार में नहीं बताएंगे, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है।’’

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य गोविंद बेनिवाल ने पोक्सो कानून 2012 (पोक्सो कानून पढ़ने के लिए गुब्बारा का पिछला अंक पढ़ें) के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने बताया कि बच्चों को इस कानून के माध्यम से सुरक्षित वातावरण मिले, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। पोक्सो कानून के अंतर्गत बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा करने पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है।

कोलायत के गांव झझू से छात्रा जेठी ने कार्यक्रम में आए लोगों से सवाल किया कि उनके देखते हुए कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल जाने से वंचित हैं? सबसे पहले उन्हें स्कूल से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यहां बैठे लोग यह प्रण लेकर जाए कि हम कम से कम एक लड़की को स्कूल से जरूर जोड़ेंगे। जेठी ने आगे कहा कि स्कूल में बनीं शाला प्रबंधन समिति को भी मजबूती से काम करने के जरूरत है ताकि स्कूल में पढ़ाई और पोषाहार की गुणवत्ता में सुधार आ सके। एस.एम.सी. में शामिल बाल सदस्य की बात सुनी जानी चाहिए और उस पर कार्य भी करना चाहिए।

चिमाणा गांव से आई मैना ने गांव में बालिकाएं की स्थिति के बारे में बताया कि बालिकाएं पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं पर उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता। बचपन से ही घर के काम सिखाए जाते हैं। क्या हम पढ़कर कुछ नहीं कर सकते ? क्या हमें काम करने की आजादी नहीं है? हमें भी लड़कों की तरह पढ़ना है और आगे बढ़ना है।

कार्यक्रम में आए बालिकाओं के पिता और दादा ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को रखा और उनसे समाधान लिए। अधिकारियों ने भी उनके साथ सीधी बात की जिससे उनके अंदर बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक समझ बनी।

उरमूल परिवार के अरविंद ओझा ने कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को ‘‘जा (जानो) बो (बोलो) क (करो)’’ के बारे में बताया। ‘‘जानो’’ के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों और बड़ों दोनों को ही, बच्चों से जुड़ी हर जानकारी को समझना चाहिए बच्चों के लिए बने कानूनों और उसके प्रावधानों को समझना चाहिए। ‘‘बोलो’’ से मतलब है कि बच्चों को अपने मन की बात को अपने विश्वास के व्यक्ति को बताना चाहिए, इसमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। बच्चे अपनी बात को अपने माता-पिता, बाल समूह, मीना मंच, किशोरी प्रेरणा मंच, किशोर मंच और गांव में बने अन्य समूह में बता सकते हैं। बच्चों को अपने साथ हुई किसी भी गलत बात, किसी भी हिंसा को छुपाना नहीं चाहिए उसे तुरंत बताना चाहिए। अपने मन में बात को नहीं रखना चाहिए। इसके बाद ‘‘करो’’ के बारे में उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि बिना कुछ करे बच्चों को हिंसा मुक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने बालक बालिकाओं से कहा कि अब इस अभियान को गांव-गांव ढ़ाणी-ढ़ाणी तक पहुंचाना हम सबका काम है। आप अपने क्षेत्र के सभी बच्चों को इस अभियान के उद्देश्य के बारे में बताएं। उन्हें और उनके माता-पिता को भी जागरूक करें।

कोलायत के दियातरा गांव से आए महेंद्र ने कहा ‘‘मेरा सबसे यही कहना है कि बच्चों को खुद अपने अधिकारों के प्रति लोगों को सजग करना पड़ेगा। जो लोग हिंसा करते हैं उन्हें बाल शक्ति दिखाने की जरूरत है। हम अपने किशोर मंच में के माध्यम से इन बातों को पंचायत स्तर तक लेकर जाते हैं।’’

पुष्पा को मिला लैपटॉप : गुब्बारा को लिखी चिट्ठी

मैने पहली बार कम्प्यूटर अपने ताऊ जी के घर पर देखा था। ताऊ जी अपने बड़े बेटे के लिए यह कम्प्यूटर लेकर आए थे। कम्प्यूटर को देखकर उसे चलाने का मेरा बहुत मन करता था, लेकिन ताऊ जी मुझे उसके पास नहीं जाने देते थे। मैने ठान लिया था कि एक दिन मैं भी कम्प्यूटर चलाऊंगी। कक्षा आठ में 79 प्रतिशत अंक लाने पर मुझे स्कूल की तरफ से लैपटॉप मिला है। मैं बहुत खुश हुई। अब लैपटॉप तो मेरे पास आ गया था लेकिन मैं इसे चलाना नहीं जानती थी। हमारे विद्यालय में भी कम्प्यूटर की शिक्षा सिर्फ किताब में ही बताई गई है। मैंने अच्छी तरह से कम्प्यूटर सीखने के लिए उरमूल सीमांत में दाखिला लिया। मैं आर.के.सी. एल. का कोर्स कर रही हूँ। यहाँ कम्प्यूटर के सभी हार्डवेयर को अच्छे से बताने के बाद पढ़ाया जाता है। प्रेक्टिकल भी करने का मौका मिलता है। मैंने कम्प्यूटर पर टाईपिंग करना भी सीख लिया है।

बाल पंचायत रोक रही हैं बाल विवाह

राजस्थान की तरह ही बिहार में भी बाल विवाह बहुत होते हैं। 2007–08 में हुए जिला स्तरीय परिवार और सुविधा सर्वे में यह बात सामने आई कि राज्य में 68.2 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। यह पूरे देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन बिहार के ही दो जिलों में बनी बाल पंचायत ने बाल विवाह रोकने का जिम्मा उठाया। और उन्हें इस काम में सफलता भी मिली।

लगभग चौदह साल की निर्मला को हम खेलते-कूदते, स्कूल जाते देख सकते हैं। अगर उसके गांव की बाल पंचायत उसकी शादी न रोकती तो आज निर्मला के हाथों में किताब नहीं बल्कि चूड़ियां होती और मांग में लाल सिन्दूर।

बिहार के खगड़िया जिले की दो पंचायतों अमनी और बलहा के दर्जन भर गांवों में पिछले तीन सालों के दौरान कई बालिकाओं का बाल विवाह होने से रुका है। बाल विवाह रोकने का काम खुद बच्चों के प्रयास से सफल हो रहे हैं। निर्मला की बात करें तो उसका बचपन लौटाने में उसकी ही हम उम्र काजल कुमारी का अहम योगदान है। निर्मला की माँ ललिता के अनुसार उन्हें बाल-विवाह के खतरों के बारे में जानकारी नहीं थी। दो बेटियों की शादी उन्होंने कम उम्र में ही कर दी थी। लेकिन इस बार जब काजल ने बाल-पंचायत के बच्चों और गांव वालों के साथ मिलकर उन्हें समझाया तो ललिता ने बेटी की शादी रोक दी।

बच्चों के जरिए इस पहल की शुरुआत साल 2011 में हुई। इन दोनों पंचायतों के सभी बारह गांवों में एक-एक बाल-पंचायत का गठन किया गया है। आठ साल से लेकर सत्रह साल तक के बच्चे इसके सदस्य होते हैं। यह समूह महीने में दो बार बैठक कर बच्चों के अधिकारों पर चर्चा करता है। बाल-पंचायत के इन सदस्यों तक स्कूल में या खेल के मेल-जोल के दौरान जैसे ही यह खबर पहुंचती है कि किसी बच्चे की शादी होने वाली है तो वे सक्रिय हो जाते हैं। पहले वे लड़की के माता-पिता से मिलकर उन्हें बाल-विवाह के खतरों के बारे में बताते हैं।

अगर फिर भी उनकी बात नहीं मानी जाती है, जैसा कि अक्सर होता है, तो वे गांव में ही बनी बाल सुरक्षा समिति के सहारे ऐसे परिवारों को समझाने का काम करते हैं। बाल पंचायत के इस प्रयास का शुरू में सदस्यों के माता-पिता और गांव में सभी ने विरोध किया था, लेकिन अब बहुत लोग उनके साथ हैं।

बाल अधिकारों के सरंक्षण के लिए मजबूत हों बाल सुरक्षा समिति

हमारे गाँव, पंचायत और ब्लॉक में बनी बाल सुरक्षा समिति मजबूत हों, इसके लिए कोलायत में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का मुख्य बिन्दु बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना था। कोलायत के विधायक भंवर सिंह भाटी ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा, ''बाल सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बच्चे देश का भविष्य हैं और हमें अपने भविष्य को सुनहरा और सुरक्षित करने के लिए बच्चों की सुरक्षा के सभी प्रयास करने चाहिएं। हमारे गाँवों की बाल अधिकार सरंक्षण समितियां मजबूत हों और सभी बच्चे शिक्षा से जुड़ें। हमारे गाँवों में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति खत्म हो इसके लिए हम सभी को हमेशा सर्तक भी रहना चाहिए।''

जिला बाल सरंक्षण इकाई, बीकानेर के सहायक निदेशक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि, बच्चों के अधिकारों की पूर्ति के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। पालनहार, विकलांग पेंशन और भत्ता, एस्कोर्ट भत्ता, निःशक्तजन बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिला और अन्य सुविधा दिए जाने की जानकारी दी।

कोलायत बाल विकास परियोजना अधिकारी रामप्रसाद हर्ष बताया कि सभी योग्य बच्चे आंगनबाड़ी आयें और किशोरी बालिका के स्वास्थ्य को लेकर सभी समितियों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबला परियोजना से किशोरी बालिकाओं को बहुत लाभ है। उनके वजन माप के साथ ही आंगनबाड़ी पर उपलब्ध आयरन की गोली की जानकारी सभी किशोरी बालिकाओं को होनी चाहिए।

उरमूल परिवार के सदस्य अरविंद ओझा ने बताया कि बच्चों के विकास और सुरक्षा के लिए अब भारत में बहुत सारे सख्त कानून हैं। शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह निषेध कानून, पोक्सो (पोक्सो की जानकारी के लिए गुब्बारे का पिछला अंक पढ़ें) हैं। कानून, बच्चों के साथ है और सभी समितियों को यह सुनिश्चित करना है इन कानून के अनुसार बच्चों की सुरक्षा सहित उनका विकास हो।

चाइल्डलाइन के जिला समन्वयक पल्लव दुबे ने बताया कि बच्चों की सहायता के लिए बीकानेर में 24 घंटे चाइल्डलाइन काम करती है। जिसका नंबर 1098 है। यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। चाइल्डलाइन बच्चों की हर तरह से मदद करती है इसलिए यह जरूरी है सभी बच्चों को चाइल्डलाइन के बारे में पता हो। हमारी समितियां भी चाइल्डलाइन का प्रचार प्रसार करें और चाइल्डलाइन की मदद लें। किसी भी फोन से सिर्फ नंबर 1098 मिलाकर आप चाइल्डलाइन की सहायता ले सकते हैं।

चाइल्डलाइन 1098 बच्चों की सहायता के लिए बनी राष्ट्रीय हेल्पलाइन है। 24 घंटे चलने वाली यह सेवा निःशुल्क है। मुसीबत में फंसे किसी भी बच्चे की सहायता के लिए कोई भी व्यक्ति या बच्चा खुद चाइल्डलाइन को फोन कर सकता है। जब आप चाइल्डलाइन को फोन करते हैं तो वह फोन चाइल्डलाइन के कॉल सेंटर पर जाता है। वहां स्थित चाइल्डलाइन का प्रतिनिधि आपसे जानकारी लेकर आपके क्षेत्र में मौजूद चाइल्डलाइन की टीम को यह जानकारी देता है। फोन पर सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। कुछ ही समय पर चाइल्डलाइन की टीम उस बच्चे की मदद के लिए पहुंच जाती है।

कृप्या यह जानकारी अधिक से अधिक बच्चों तक पहुचाएं

संपादन – विपिन उपाध्याय, रवि मिश्रा।
संपादन सहयोग – सुनील लहरी, डॉ. हरिशंकर भोजका। मुद्रक–क्रीडा प्रिंटर्स, बीकानेर
उरमूल सीमांत समिति के लिए प्लान इंडिया के सहयोग से उरमूल ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित। निजी वितरण हेतु।
उरमूल सीमांत समिति, पावर ग्रिड के पास, बड्डू, ब्लॉक– कोलायत, बीकानेर – 334305, फोन : 01535–232034
बीकानेर में संपर्क: उरमूल ट्रस्ट, उरमूल भवना बीकानेर–334001 फोन : 0151–2523093, mail@urmul.org